न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 09/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 08.01.2024
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

सरवनी बैवा भुवाना जी जाति रेगर, निवासी ग्राम माटुन्दा तहसील व जिला बून्दी राज०

.....अपीलार्थी

बनाम

1. भगवान आत्मज स्वर्गीय देवा जाति रेगर
2. पप्पू आत्मज स्वर्गीय देवा जाति रेगर
3. घीसीबाई बैवा स्वर्गीय देवा जाति रेगर
   निवासीगण ग्राम माटुन्दा तहसील व जिला बून्दी राज०
4. नवल आत्मज स्वर्गीय देवा जाति रेगर,
   निवासी नया माटुन्दा रोड, गैस गोदाम के पास, जिला बून्दी राज०
5. रमेश आत्मज स्वर्गीय देवा जाति रेगर, निवासी नैनवां रोड इन्द्रा कॉलोनी, जिला बून्दी राज०
6. आवंटन परामर्शदात्री समिति बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज०

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र.1 लगायत 5
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र 6

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 27/प्रा0पत्र/15 बउनवान सरवणी बेवा भवाना बनाम भगवान वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश कर आवंटन परामर्शदात्री समिति मुख्यालय माटून्दा द्वारा दिनांक 03.06.1999 को देवा आ. मन्ना जाति रेगर, निवासी ग्राम माटून्दा को ग्राम माटून्दा की भूमि खसरा संख्या 832/1996 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 832/1998 रकबा 2 बीघा किये गये भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण (भगवान आत्मज देवा वगेराह) को उक्त आवंटित भूमि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में देवा आ. मन्ना जाति रेगर को आराजी खसरा संख्या 832/1996 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 832/1998 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम माटून्दा का आवंटन दिनांक 03.6.1999 विधिसम्मत होने उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 04.07.2016 से खारिज किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04.07.2016 विधि, न्याय एवं संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम–14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 को विधि विरूद्ध रूप से निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया था कि तत्समय दिनांक 03.06.1999 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 832/1996 रकबा 2 बीघा व खसरा नम्बर 832/1998 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम माटुन्दा तहसील व जिला बून्दी का आवंटन देवा आत्मज मन्ना जाति रेगर को सर्वथा बिना नियमो की पालना व बिना पूर्ण कोरम के तथा बिना समुचित रूप से उद्वघोषणा जारी किये ही किया गया था तथा तत्समय नियमों की भी कोई पालना नही की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह साबित कर दिया गया था कि दिनांक 04.06.1999 को अपीलार्थी को खसरा नम्बर 832 रकबा 2 बीघा का आवंटन विधिवत रूप से किया गया तथा इसके अलावा यह भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा साबित कर दिया था कि देवा आत्मज मन्ना जाति रेगर को आवंटित की गयी भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही इस भूमि पर प्रार्थिया सरवनी का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा था तथा इस भूमि को प्रार्थिया व उसके परिवार ने ही काबिल काश्त बनाया था, जिसका पूर्व में भी दिनांक 05.11.1977 को रकबा 3 बीघा का आवंटन प्रार्थिया सरवनी बैवा भवाना के नाम हुआ था, जो आज भी प्रभावी है। तत्पश्चात दिनांक 04.06.1999 को खसरा नम्बर 832 में से 2 बीघा रकबा भूमि का आवंटन प्रार्थिया को किया गया है। इस प्रकार से गैरकानूनी रूप से प्रार्थिया वाली भूमि का अन्य को किया गया उक्तानुसार आवंटन दिनांक 03.06.1999 वाला सर्वथा बिना निश्चित तय आज्ञापक नियमो व उप नियमो की पालना किये ही बिना पूर्ण कोरम के किये गये होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। उक्त भूमि के वर्तमान में नये कायम किये गये खसरा नम्बर 3463/1996 व खसरा नम्बर 3465/1998 हो चुके हुऐ है। आवंटी देवा आत्मज मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके रेस्पो0 संख्या 1 सहित 5 उत्तराधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश दस्तावेजात से यह पूर्णतया साबित रहा है कि देवा को किये गये आवंटन दिनांक 03.06.1999 से पूर्व इस आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थिया का ही कब्जा था, जो आज तक भी उक्त भूमि पर प्रार्थिया व परिवार का कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी को किया गया आवंटन पूर्ण कोरम बैठक में निर्णय अनुसार ही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
कोटा संभाग, कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह साबित कर दिया गया था कि दिनांक 04.06.1999 को अपीलार्थी को खसरा नम्बर 832 रकबा 2 बीघा का आवंटन विधिवत रूप से किया गया तथा इसके अलावा यह भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा साबित कर दिया था कि देवा आत्मज मन्ना जाति रेगर को आवंटित की गयी भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा था तथा उसके द्वारा ही उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया था, जिसका पूर्व में भी दिनांक 05.11.1977 को रकबा 3 बीघा का आवंटन अपीलार्थी सरवनी बैवा भुवाना के नाम हुआ था, जो आज भी प्रभावी है। तत्पश्चात दिनांक 04.06.1999 को खसरा नम्बर 832 में से 2 बीघा रकबा भूमि का आवंटन प्रार्थिया को किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान 832 काफी बडा लगभग 150 बीघा है तथा इसी रकबे में से ही दिनांक 03.06.1999 को खसरा नम्बर 832/1996 रकबा 2 बीघा व खसरा नम्बर 832/1998 रकबा 2 बीघा का आवंटन देवा आत्मज मन्ना जाति रेगर (रेस्पो0 के पिता) को कुल 4 बीघा भूमि आवंटित हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी को आवंटित आराजी को ही रेस्पो0 को आवंटित कर दी गयी। जबकि अपीलार्थी का आवंटन आज दिनांक तक भी बदस्तूर है और न हीं आवंटन निरस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटित रकबे को पुनः आवंटन करना न्यायोचित है। चूंकि खसरा सं0 832 रकबा काफी बड़ा है तथा अपीलार्थी का आवंटन नियमानुसार हुआ है जो आज भी बहाल है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उसी खसरे में से अलग आराजी दे दी जावे तो रेस्पो0 के आवंटन से कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2016 निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2020(1) DNJ [Raj.] page no. 265, 2020(3) DNJ [Raj.] Page No. 846, 2016(4) DNJ [Raj.] Page No. 1680** पेश किये।

5. रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 5 अभिभाषक की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि खसरा सं0 832 रकबा काफी बड़ा है तथा रेस्पो0 के पिता देवा आत्मज मन्ना को उक्त रकबे में से 4 बीघा आराजी विधिवत आवंटित हुई है। आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना किये जाने के उपरांत आवंटित आराजी के रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा जिस आराजी का आवंटन हुआ उसी की खातेदारी मिली हैं। आवंटी देवा आत्मज मन्ना की मृत्यु के उपरांत रेस्पो0 उसके वारिसान है, जो उक्त आवंटित आराजी पर काबिज है। ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2016(1) Page No. 82, 2024(1) DNJ Page No. 424, RBJ (28) 2021 Page No. 226, 2021(4) DNJ [SC] Page No. 1046, RRT 2023(2) Page No.1218, 2021 RBJ 747** पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 के साथ पेश कर कथन किया गया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा अपीलार्थी अत्यंत वृद्धावस्था व गरीब होने पर यह आवश्वासन दिया गया था कि

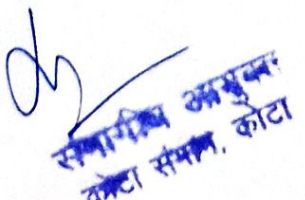

प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2016 के निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं रहीं। इसके उपरांत जानकारी प्राप्त की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरांत माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई है। इसके विपरित रेस्पो0 की ओर से अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय अपीलांट एवं उसके अभिभाषक की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलार्थी को आदेश जेरअपील की पूर्ण जानकारी रही है। अपीलार्थी का स्वयं का यह दायित्व था कि अपने अभिभाषक से निरंतर संपर्क में रहकर प्रकरण की जानकारी रखे। किंतु 7 वर्ष के उपरांत अपील पेश की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील पूर्णतः अवधि बाधित है। अतः प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1955 खारिज किये जाने योग्य है तथा इसके आधार पर प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को आवंटित आराजी को ही रेस्पो0 को आवंटित कर दी गयी। जबकि अपीलार्थी का आवंटन आज दिनांक तक भी बदस्तूर है और न हीं आवंटन निरस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटित रकबे को पुनः आवंटन करना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के उपरोक्त कथन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में तकनीकी बिन्दु निहित होना प्रकट होने से गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश कर आवंटन परामर्शदात्री समिति मुख्यालय माटून्दा द्वारा दिनांक 03.06.1999 को देवा आ. मन्ना जाति रेगर, निवासी ग्राम माटून्दा को ग्राम माटून्दा की भूमि खसरा संख्या 832/1996 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 832/1998 रकबा 2 बीघा किये गये भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण (भगवान आत्मज देवा वगेराह) को उक्त आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में देवा आ. मन्ना जाति रेगर को आराजी खसरा संख्या 832/1996 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 832/1998 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम माटून्दा का आवंटन दिनांक 03.6.1999 विधिसम्मत होने उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 04.07.2016 से खारिज किया गया। अपीलार्थी का न्यायालय हाजा के समक्ष तर्क रहा है कि पूर्व में दिनांक 05.11.1977 को रकबा 3 बीघा का आवंटन अपीलार्थी सरवनी बैवा भुवाना के नाम हुआ था, जो आज भी प्रभावी है। तत्पश्चात दिनांक 04.06.1999 को खसरा नम्बर 832 में से 2 बीघा रकबा भूमि का आवंटन अपीलार्थी को किया गया है। अपीलार्थी को आवंटित आराजी को ही रेस्पो0 को आवंटित कर दी गयी। जबकि अपीलार्थी का आवंटन आज दिनांक तक भी बदस्तूर है और न हीं आवंटन निरस्त हुआ है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि भूमि आवंटन पटवार मण्डल माटून्दा, तहसील बून्दी सूची अनुसार आवंटन दिनांक 04.06.1999 पर क्र. सं 106 पर श्रवणी बेवा भवना रेगर को खसरा सं 832 की रकबा 2.00 बीघा आवंटित किया जाना अंकित हैं। साथ ही पूर्व में भी दिनांक 05.11.1977 को रकबा 3 बीघा का आवंटन प्रार्थिया सरवनी बैवा भवाना को किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट नहीं था कि अपीलार्थी के उक्त आवंटन को पूर्व में ही सक्षम स्तर से निरस्त किया गया है अथवा नहीं और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

उपलब्ध है, जिससे उक्त अपीलार्थी के आवंटन को पूर्व में निरस्तीकरण किये जाने की कोई कार्यवाही की गई हो। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वयं अपने विवेचन में यह स्पष्ट किया है कि "आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1977 से सरवणी बेवा भवाना रेगर को ग्राम माटून्दा के खसरा सं 832 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन होना तथा सूची दिनांक 04.06.1999 से श्रवणी बेवा भवाना रेगर को खसरा सं0 832 मिन में से 2 बीघा भूमि का आवंटन होना पत्रावली से प्रकट होता है"। ऐसी स्थिति में आवंटित रकबे को बिना सक्षम स्तर से निरस्त किये ही पुनः अन्य व्यक्ति को आवंटन किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने तथा आवंटन विधिविरूद्ध होने पर ही आवंटन निरस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 832/1996 रकबा 2 बीघा एवं खसरा सं 832/1998 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम माटून्दा का देवा आत्मज मन्ना जाति रेगर को दिनांक 03.06.1999 को आवंटित की गई थी तथा उक्त आवंटित आराजी पर आवंटी/रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी को आवंटन परामर्शदात्री समिति के द्वारा विधिवत आवंटन किया जाना प्रकट होता है, जिसे निरस्त किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.07.2016 को पारित किया गया निर्णय उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित किया जाना प्रकट होता है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा मिसल संख्या 27/प्रा0पत्र/15 बउनवान सरवणी बेवा भवाना बनाम भगवान वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 को तत्समय मूल खसरा सं0 832 में से ही आवंटन किया गया है तथा उक्त खसरा संख्या 832 की रकबा काफी बड़ा होना प्रकट होता है। साथ ही अपीलार्थी को आवंटन परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया गया आवंटन यदि किसी सक्षम स्तर से निरस्त नहीं किया गया अथवा आजदिनांक तक बहाल है तो ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को प्रश्नगत आराजी पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने से अपीलार्थी को मूल खसरा सं0 832 में से ही मौके की स्थिति के अनुसार अन्यत्र जगह पर बैठाया जाकर तदनुसार राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

25/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

कोटा संभाग, कोटा